

राजस्थान सरकार

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर जिला सीकर

कमांक / राजस्व / 2023 / 350

दिनांक 30/5 / 2023

—: रास्ते का राजस्व रिकार्ड में अंकन करने का आदेश :-

राजस्व (गुप-6) विभाग के परिपत्र कमांक प 3 (2) राज-6/2003 / पट्टे जयपुर, दिनांक 10.08.2016 की पालना में राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131 व 132 तथा राजस्थान भू-अभिलेख नियम 1957 के नियम 58, 59, 60, 68 एवं 86 के अन्तर्गत ग्राम नामजोई पटवार मण्डल कमल विद्यालय भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त पुत्र तहसील श्रीमाधोपुर की मुनि खसरा नम्बर 63 में स्थित रास्ते का प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है तथा सलग्न निर्णयानुसार रास्ते का राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

शिवर जन्मरी अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर

कमांक / सम / 350

दिनांक: 30/5 / 2023

प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

1. तहसीलदार श्रीमाधोपुर।
2. भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त
3. पटवारी हल्का

शिवर जन्मरी अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर

